

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर**

क्रमांक:-आक्षेवि/भण्डार/नीलामी /2021-2022/463

दिनांक:-7/4/2022

निदेशक,

सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय,

राजस्थान जयपुर।


विषय- नीलामी सूचना प्रकाशित करवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय का नकारा, अप्रचलित, अनुपयोगी सामानों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 24.02.2022 को किया जाना है, जिसका पुस्तक मूल्य 432569/- है। इस सामान की नीलामी सूचना की छः प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु भिजवायी जा रही है।

अतः कृपया नीलामी सूचना को नीलामी दिनांक से 15 दिवस पूर्व कम से कम स्पेश में नियमानुसार प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे और प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न- छः प्रतियाँ।

  
अतिरिक्त आयुक्त,  
सिंचित क्षेत्र विकास,  
बीकानेर।

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर**

क्रमांक:- आक्षेपि/भण्डार/नीलामी /2021-2022/464

दिनांक:- 7.2.2022

::नीलामी सूचना::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के भण्डार का नकारा, अप्रचलित व अनुपयोगी सामानों को सम्मुख अंकित दिनांक 24.02.2022 को प्रातः 11:00 बजे निर्देशानुसार नीलाम किया जाना है। जीएसटी पंजीकृत खरीददार नीलामी दिवस पर बोली लगाने हेतु भाग ले सकते हैं:-

सामान का विवरण	पुस्तक मूल्य	नीलामी दिनांक	अमानत राशि
लोहे की अलमारी , रेक,टेबल, कुर्सी व लकड़ी की अलमारी, रेक, टेबल, कुर्सी ,टंकन यंत्र, दरियां, ट्यूबलाईट,छत पंखे, पेडस्टल फेन आदि	लगभग 450000/- (चार लाख पचास हजार मात्र)	24.02.2022	9000/-

नीलामी की शर्तें व सामान की स्थिति कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

h  
अतिरिक्त आयुक्त,  
सिंचित क्षेत्र विकास,  
बीकानेर।

नीलामी की शर्तें:-

- 1.नीलामी दिनांक 24.02.2022 वार गुरुवार को होगी।
- 2.नीलामी दाता को नीलामी शुरू होने से पूर्व नकद अमानत राशि जमा करवानी होगी। बिना अमानत राशि जमा करवाये नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 3.सर्वोच्च बोली दाता की अमानत राशि को छोड़कर शेष सभी बोली दाताओं की अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
- 4.अंतिम बोलीदाता को नीलामी उसके पक्ष में स्वीकार होने पर नीलामी की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करवानी होगी। शेष राशि सात दिवस में इस कार्यालय को जमा करवानी होगी। नीलामी की पूरी राशि जमा होने पर ही सामग्री सुपुर्द की जावेगी।
- 5.नीलामी की अंतिम बोलीदाता को नीलामी की राशि के अलावा राज्य सरकार द्वारा लागू जीएसटी व अन्य किसी प्रकार का टैक्स जो अनिवार्य हो तथा सरचार्ज की राशि संबंधित विभाग को जमा करवानी होगी।
- 6.नीलामी तिथी आगे बढ़ाने, निरन्तर करने, नीलामी को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- 7.नीलामी की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
- 8.नीलामी सामग्री/सामग्री की सूची किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देखी जा सकती है।
9. नीलामी के समय अनुपयोगी सामान की अनुमोदित सूची में सामान की एक मुश्त बोली अथवा सामान की प्रकृति के अनुसार आईटमवार/ग्रुपवार बोली लगाने का नीलामी समिति का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 10.समस्त नीलामी प्रक्रिया सा.वि.ए.ले.नियमों के तहत होगी।

h  
अतिरिक्त आयुक्त,  
सिंचित क्षेत्र विकास,  
बीकानेर।